


आदेश की क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेदक द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त भूमि के बगल के ही प्लॉट मालिक द्रोपदी देवी, कुन्ती देवी, लाल प्रसाद गोराई एवं नगेन्द्र शर्मा को आवासीय दर से भुगतान किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि अधिग्रहित की गई भूमि आवासीय / व्यवसायिक योग्य है, परन्तु भू-अर्जन विभाग के द्वारा कृषि योग्य भूमि बताकर भूमि का मूल्यांकन किया गया है, जो गलत है। आवेदक के द्वारा आवासीय / व्यवसायिक भूमि का मूल्य निर्धारित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष NHAI के द्वारा अपना लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह वर्णित किया गया है कि भूमि के मूल्यांकन के साथ-साथ भूमि की श्रेणी और आवेदक को भुगतान की गयी मुआवजा राशि उचित है, इसलिए इनके द्वारा किये जा रहे दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है तथा संबंधित वाद को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

इस कार्यालय के पत्रांक 2184/रा०, दिनांक 21.08.2020 के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो से संदर्भित अपीलवाद में जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो का पत्रांक 450(A)/भू०अ०, दिनांक 29.08.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो अभिलेख में संधारित है। जाँच प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि मौजा नावाडीह में आवेदित प्लॉट संख्या-2925 धारा 3A में भूमि का किरम गोडा 3 गजट में दर्ज है। धारा 3A के अनुरूप धारा 3G में भूमि का किरम कृषि दर्ज किया गया है। NHAI के द्वारा धारा 3A की अधियाचना में भूमि का किरम गोडा 3 प्रस्तुत किया गया था तथा धारा 3A में दर्ज भूमि के किरम के अनुरूप धारा 3G तैयार करने हेतु NHAI द्वारा पत्र भी उपलब्ध कराया गया था।



आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित

धारा 3A के प्रकाशन के बाद भूमि के किस्म में परिवर्तन हेतु हितबद्ध रैयतों द्वारा किसी प्रकार का कोई दावा ससमय प्राप्त नहीं हुआ था।

आवेदक के द्वारा अपने वक्तव्य एवं लिखित जवाब के समर्थन में ऐसी कोई कागजात / साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उनके द्वारा किये जा रहे दावे को बल मिल सके।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल किये गये कागजातों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि गौजा नावाडीह खाता नं0-51, प्लॉट नं0-2925, रकवा-0.15 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि है। सर्वे खतियान में भी भूमि का किस्म कृषि दर्ज है। उपरोक्त भूमि NH-32 के लिए अधिग्रहित भूमि है, जिसका मूल्यांकन जिला भू-अर्जन कार्यालय, बोकारो द्वारा नियमानुसार सही प्रक्रिया अपनाते हुए बिना किसी भेदभाव के किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक द्वारा दाखिल किये गये अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। उक्त आदेश की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बोकारो / परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, धनबाद को भेजें।
लेखापित एवं संशोधित।


अपर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर, बोकारो।


अपर समाहर्ता
-सह-
आर्बिट्रेटर, बोकारो।